

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- BRRDA(HQ) MMGSY-(W.B)-109/16 995 /पटना, दिनांक- 23.11.18

प्रेषक,

संजय कुमार भा10प्र0से0
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0518-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [विश्व बैंक सम्पोषित], विपत्र कोड संख्या-37-4515001030518, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना [विश्व बैंक सम्पोषित] के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निम्न योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु अलग-अलग योजनाओं के लिए पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनान्तर्गत [विश्व बैंक सम्पोषित] वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कुल 84 अदद योजनाओं के निर्माण कार्य एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ-9 में अंकित राशि की पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

Sl No.	District	Division	Block	Name of Road	CNCPL / CUPL Sl.No.	Length (in km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Begusarai	Teghra	Bachhwara	Bechhwara Bazar to Maranchi Bhikhamchak Salempur Bahrapur T05	6	4.000	586	233.100
2	Begusarai	Teghra	Bhagwanpur	Kathariya to Jankipur Path	43	1.600	300	85.850
3	Begusarai	Teghra	Bhagwanpur	T02 PMGSY Road to Suryapura Chouk via Naharipur Bachauli Nevtol (Tajpur hote Hue Bhagwanpur Sanjat Road to Batiya)	4	5.700	702	382.560
		Teghra Total		3		11.300	1588	701.510
4	East Champaran	Motihari	Motihari	L039 Chamar Tola to Dushad Tola	37	2.053	471	143.850
5	East Champaran	Motihari	Piprakothi	Madhu Malat REO Belwatiya PMGSY to Sah Tola	18	1.868	372	157.800
6	East Champaran	Motihari	Sugauli	Kobaya Bazar to Serghatiya	14	2.877	392	187.410
7	East Champaran	Motihari	Turkaulia	T02 to Balganga	4	2.846	2521	152.380
8	East Champaran	Motihari	Turkaulia	T05 to Mathurapur	6	3.471	2448	179.710
		Motihari Total		5		13.115	6204	821.150

\$44

Sl No.	District	Division	Block	Name of Road	CNCPL/ CUPL Sl.No.	Length (in km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Madhubani	Jaynagar	Ladaniya	Khajedih Mukhya Marg to PMGSY Road via Bhutaha Musahri and Surya Yadav House	79	2.971	472	263.830
77	Madhubani	Jaynagar	Ladaniya	Sidhpa to parsahi Thalha Tol	6	4.751	1179	431.540
78	Madhubani	Jaynagar	Ladaniya	Padma Dhata PWD Road Laxmipal House to Faudi Tol	124	2.811	385	219.750
79	Madhubani	Jaynagar	Ladaniya	PWD Sidhpakla Nathuni House to Sidhpakla Mahadalit Tola	180	2.447	225	212.500
80	Madhubani	Jaynagar	Ladaniya	PWD Budheshwar Thakur House to Ganesh Yadav House via Santoshi Mandir Mahadalit Tola	94	1.611	446	126.840
81	Madhubani	Jaynagar	Ladaniya	PMGSY Road ke Nikat Khattar Sadae House to Kabilasa Sima	140	4.975	362	432.410
Jaynagar Total				18		53.085	12006	4636.930
82	Madhubani	Jhanjharpur	Andhrathari	Bithaini to Yadav Tola	13	2.022	475	188.110
83	Madhubani	Jhanjharpur	Madhepur	Chhatauni to Raghobpur	12	3.610	737	312.410
84	Madhubani	Jhanjharpur	Madhepur	Madhepur Bus Stand to Alpsankhyak Gola Tol	21	2.661	490	279.600
Jhanjharpur Total				3		8.293	1702	780.120
Grand Total				84		215.807	106629	17486.951

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक-22.11.2018 निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कराये जाने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
- योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त करने के पूर्व डी0पी0आर0 के साथ Social and Environment से संबंधित प्रपत्र संलग्न कराने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं PIU स्तर पर नामित ESMF नोडल पदाधिकारी की होगी।

3. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीक तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(Signature)

(Signature)

4. संबंधित कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडलों के योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
5. इन योजनाओं की निविदा कार्य, ई-निविदा के माध्यम से मुख्यालय स्तर से विश्व बैंक के मानक निविदा अभिलेख के आधार पर करायी जायेगी।
6. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जाँचफल के गुण-दोष के आधार पर किया जायेगा।
7. कार्यों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका एवं विश्व बैंक से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में किया जायेगा।
8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. मुख्यशीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अन्तर्गत उपशीर्ष-0518-मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित), जिसका विपत्र कोड-37-4515001030518 है, विश्व बैंक सम्पोषित मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
10. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना [विश्व बैंक सम्पोषित] अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
11. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा दिनांक-22.11.2018 को संचिका संख्या BRRDA(HQ)-MMGSY-(W.B)-109/16 के पृष्ठ-53/टि0 पर प्राप्त है।
12. वित्त विभाग की संकल्प सं0-4-45/94-301 वि0(2), दिनांक-31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक-स्कीम (8)-11-2005-5090 वि0(2), दिनांक-15.09.2005, पत्रांक-295, दिनांक-24.03.2015 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं0-96, दिनांक-03.01.2008 एवं वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम-4-53/2007-3758 वि0, दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय। साथ ही बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
15. प्राक्कलन कि विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अन्तराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
17. इस योजना मद में व्यय, बजट से प्राप्त राशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

५.१.१

W

18. यह आदेश वित्त विभाग की संकल्प संख्या- एम-4-53/2007-3758 वि०, दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(क) में निहित प्रावधान के आलोक में एवं संचिका संख्या BRRDA(HQ) MMGSY-(W.B)-109/16 के पृष्ठ-53/टि० पर दिनांक- 22.11.2018 को विभागीय सचिव के आदेशानुसार आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ) MMGSY-(W.B)-109/16 के पृष्ठ संख्या 57/टि० पर दिनांक 23.11.18 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

५५

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: BRRDA(HQ) MMGSY-(W.B)-109/16 995 /पटना, दिनांक-23.11.18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उपविकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-1/मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना /संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

५५

५५

सरकार के विशेष सचिव